न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एसडीओ) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी श्री रोहित कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 238/2019

सरकार बनाम 1. विक्रम बजरंग पि. सोहनलाल वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू–राजस्व अधिनियम सपठित नियम 59,60,66,,86 भू–अभिलेख नियम 1970.

आदेश दिनांकः– 27.10.2020

पत्रावली आज पेश हुई। तहसीलदार पचपदरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,136 भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम **गोपडी** के मूल खसरा नं 230 है। जो अलग–अलग व्यक्तियों को अवाटंन नियमन के द्वारा वर्तमान के खसरा नं. 230 के चालू जमाबंदी के अनुसार कुल 11 (ग्यारह) टुकडे है। चालू लट्ठा ट्रेस में केवल ख.स. 411/230 एक टूकडे की तरमीम की हुई है.जो मौके व रेकर्ड अनुसार सही नहीं है। गोपडी के खसरा सं. 230 के सभी बट्टा नम्बरान जो परिशिष्ट अ मे काली स्याही से दर्शाये गई है,जबकि वर्तमान लट्ठा ट्रेस में पूर्व में की गई ख.न. 411/230 की तरमीम परिशिष्ट ब में लाल स्याही से दर्शाई गई है। अतः रेकर्ड दुरूस्त के तहत उक्त खसरे की तरमीम करने का निवेदन किया है।

विप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया। बावजूद इतला विप्रार्थीगण अनुपस्थित।
प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। आर.एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 131, 136 के तहत राजस्व रेकर्ड में हुई किसी अशुद्वि को शुद्व करने हेतु आदेश दिया जाता है। प्रस्तुत प्रार्थना रेकर्ड दुरूस्त के तहत खसरे की तरमीम करने का निवेदन किया गया जिसके कारण यह सारहीन है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो ।
आदेश खुल न्यायालय मे दिनांक .27.10.2020 को सुनाया गया ।

(रोहित कुमार)
भू–अभिलेख अधिकारी,
(एसडीओ) बालोतरा
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अधिकारी (S.D.O.) ... बालोतरा